



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 2438/अका./का.प./2021

रायपुर, दिनांक 13/08/2021

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की उनसठवीं बैठक मंगलवार, दिनांक 10.08.2021 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

- | | | | |
|------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| 1. डॉ. शैलेंद्र सराफ | - सदस्य | 8. डॉ. ममता शर्मा | - सदस्य |
| 2. डॉ. कल्लोल कुमार घोष | - सदस्य | 9. डॉ. समीर ठाकुर | - सदस्य |
| 3. डॉ. (श्रीमती) नंदा गुरवारा | - सदस्य | 10. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का | - सदस्य |
| 4. डॉ. (श्रीमती) प्रीति के. सुरेश | - सदस्य | 11. डॉ. एस.आर. गुप्ता | - सदस्य |
| 5. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल | - सदस्य | 12. श्री गोविंद चंद्राकर | - सदस्य |
| 6. डॉ. भजन सिंह छाबड़ा | - सदस्य | 13. डॉ. एम.एल. नायक | - सदस्य |
| 7. डॉ. के.एन. शर्मा | - सदस्य | | |

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.06.2021 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.06.2021 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. विश्वविद्यालय में नवीन अंशदायी पेंशन योजना (NPS) अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 1230/एफ 1-41/2009/वित्त/स्था./चार/2012 रायपुर, दिनांक 01.08.2012 एवं छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 809/एफ 2013-04-0000702 स्था./चार नया रायपुर दिनांक 23 जून 2016 के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत दिनांक 01.11.2004 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन (NPS) का लाभ दिया जाना है। अतः विश्वविद्यालय में नवीन अंशदायी पेंशन योजना (NPS) अंगीकृत करने का अनुमोदन किया गया।

4. श्री के.के. चंद्राकर, पूर्व कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को निलंबन अवधि का पूर्ण भुगतान एवं सातवें वेतनमान के अंतर की राशि रु. 23,48,569/- (रुपए तेइस लाख अड़तालिस हजार पाँच सौ उनहत्तर मात्र) का भुगतान पर विचार करना।
- निर्णय : श्री के.के. चंद्राकर, पूर्व कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को निलंबन अवधि का पूर्ण भुगतान एवं सातवें वेतनमान के अंतर की राशि रु. 23,48,569/- (रुपए तेइस लाख अड़तालिस हजार पाँच सौ उनहत्तर मात्र) का भुगतान करने हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया –
- (1) विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 922/स्था./स.प्रशा./2021 दिनांक 02.03.2021 के परिप्रेक्ष्य में श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के फलस्वरूप उनके निलंबन अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना जाए।
 - (2) विश्वविद्यालय आदेश क्र. 924/स्था./सा.प्रशा./2021 दिनांक 02.03.2021 के अनुसार श्री के.के. चंद्राकर का वेतन अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने के फलस्वरूप वेतन के अंतर की राशि को भुगतान करने का अनुमोदन किया गया।
5. स्व. श्री अरविंद शर्मा, माइक्रोएनालिस्ट, रसायन अध्ययनशाला का 240 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : स्व. श्री अरविंद शर्मा, माइक्रोएनालिस्ट, रसायन अध्ययनशाला का कुल 240 दिवस अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रुपए 8,47,962.00 (रुपए आठ लाख सैंतालिस हजार नौ सौ बासठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।
6. डॉ. रामानुज शर्मा, सेवानिवृत्त टेक्निकल असिस्टेंट का 234 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : डॉ. रामानुज शर्मा, सेवानिवृत्त टेक्निकल असिस्टेंट का कुल 234 दिवस का अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रुपए 5,94,828.00 (रुपए पाँच लाख चौरानबे हजार आठ सौ अठाईस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।
7. डॉ. गोपाल चंद्राकर, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक का 240 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : डॉ. गोपाल चंद्राकर, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक को कुल 240 दिवस का अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रुपए 5,87,462.00 (रुपए पाँच लाख सत्यासी हजार चार सौ बासठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।
8. श्रीमती शांति बाई, सेवानिवृत्त स्वच्छक के सी.पी.एफ. राशि स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : श्रीमती शांति बाई, सेवानिवृत्त स्वच्छक के सी.पी.एफ. की कुल राशि रुपए 6,63,716.00 (रुपए छः लाख तिरसठ हजार सात सौ सोलह मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।
9. डॉ. केशरी लाल वर्मा, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला का 225 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : डॉ. केशरी लाल वर्मा, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला को कुल 225 दिवस का अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रुपए 17,79,120.00 (रुपए सत्रह लाख उन्चासी हजार एक सौ बीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. वार्षिक परीक्षा के उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कराने हेतु अग्रिम राशि रूपए 1,80,12,615/- (रूपए एक करोड़ अस्सी लाख बारह हजार छः सौ पंद्रह मात्र) के कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वार्षिक परीक्षा के उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कराने हेतु महाविद्यालयों को जारी अग्रिम राशि रूपए 1,80,12,615/- (रूपए एक करोड़ अस्सी लाख बारह हजार छः सौ पंद्रह मात्र) के कार्योत्तर भुगतान का अनुमोदन किया गया।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. विश्वविद्यालय के विभिन्न 15 भवनों के बाह्य पोताई के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के 15 भवनों की बाह्य पोताई हेतु कुल प्राक्कलन राशि रु. 48,08,351/- (रूपए अड़तालीस लाख आठ हजार तीन सौ इक्यावन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई। लोक निर्माण विभाग के (S.O.R. Effective from 1 Jan. 2015) के आधार पर निविदा आमंत्रित किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई।

12. विश्वविद्यालय के विभिन्न 12 भवनों के बाह्य पोताई के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के 12 भवनों की बाह्य पोताई हेतु कुल प्राक्कलन राशि रु. 71,63,227/- (रूपए इकहत्तर लाख तिरसठ हजार दो सौ सत्ताइस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई। लोक निर्माण विभाग के (S.O.R. Effective from 1 Jan. 2015) के आधार पर निविदा आमंत्रित किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई।

13. विश्वविद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु वास्तुविद् (Architect) चयन संबंधी प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 31.03.2021 के निर्णयानुसार फर्म, Bharti & Associates Raipur के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित तीन कार्यों हेतु किया गया है—

1. Intigrated examination hall
2. Furniture layout of Exam Section hall
3. Staff Quarter (University campus)

14. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उद्यानों के वार्षिक रख-रखाव वर्ष 2021-'22 का सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग को राशि रूपए 15,39,215/- (रूपए पंद्रह लाख उतालिस हजार दो सौ पंद्रह मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उद्यानों के वार्षिक रख-रखाव वर्ष 2021-'22 का सहायक संचालक, उद्यानिकी विभाग की ओर से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 30,78,430/- (रूपए तीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ तीस मात्र) की 50% राशि रूपए 15,39,215/- (रूपए पंद्रह लाख उतालिस हजार दो सौ पंद्रह मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

15. विश्वविद्यालय परिसर में 100 नग Street Light Pole लगाने एवं उनमें L.E.D. Street Light Fitting लगाने हेतु रूपए 24,50,000/- (रूपए चौबीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर में 100 नग Street Light Pole लगाने एवं उनमें L.E.D. Street Light Fitting हेतु न्यूनतम निविदा दर 30 % Below S.o.R. वाली फर्म मेसर्स, D.M. Jha, Raipur को कार्य आदेश देकर अनुबंध किए जाने एवं कार्य पर लागत राशि रूपए 24,50,000/- (रूपए चौबीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला हेतु निर्माता कंपनी से Quantum efficiency and I-V measurement system उपकरण क्रय हेतु राशि रु. 14,48,304/- (रुपए चौदह लाख अड़तालिस हजार तीन सौ चार मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला द्वारा हेतु Quantum efficiency and I-V measurement system (Model No. H0-SLQEIV) Sole निर्माता कंपनी मेसर्स Homarc Opto Mechatronics Pvt. Ltd., Kochi से उपकरण क्रय किए जाने एवं Lab Equipment & Repair मद से सत्र 2021-'22 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 15.20 लाख से कुल लागत राशि 14,48,304/- (रुपए चौदह लाख अड़तालिस हजार तीन सौ चार मात्र) व्यय का अनुमोदन किया गया।

बायोटेक्नोलॉजी से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. विश्वविद्यालय परिसर में Technology Business Incubator की स्थापना हेतु राशि रुपए 68,19,160.00 (रुपए अड़सठ लाख उन्नीस हजार एक सौ साठ मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर में Technology Business Incubator की स्थापना के लिए Department of Science & Technology, New Delhi को iTBI-NIDHI योजना के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावित है जिसकी कुल लागत रुपए 5,51,91,200.00 (रुपए पाँच करोड़ इंक्यावन लाख इंक्यानबे हजार दो सौ मात्र) है, जिसमें से विश्वविद्यालय प्रशासनिक व्यय की राशि रुपए 68,19,160.00 (रुपए अड़सठ लाख उन्नीस हजार एक सौ साठ मात्र) का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया -

Heads	Year-1 (Rs)	Year-II (Rs)	Year-III (Rs)	Total (Rs)
Non-Recurring	23,00,000.00	15,00,000.00	Nil	38,00,000.00
Recurring	Nil	11,74,400.00	18,44,760.00	30,19,160.00
Total (Rs)	23,00,000.00	26,74,400.00	18,44,760.00	68,19,160.00

Rupees Sixty Eight Lakh Ninteen Thousand One Hundred and Sixty Only

18. विश्वविद्यालय परिसर में BioNEST Bioincubator की स्थापना हेतु राशि रुपए 48,00,000.00 (रुपए अड़तालीस लाख मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर में BioNEST Bioincubator की स्थापना के लिए Department of Biotechnology, New Delhi को BioNEST योजना के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावित है, जिसकी कुल लागत रुपए 9,31,01,000.00 (रुपए नौ करोड़ इकत्तीस लाख एक हजार मात्र) है, जिसमें से विश्वविद्यालय से प्रशासनिक व्यय की राशि रुपए 48,00,000.00 (रुपए अड़तालीस लाख मात्र) का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया -

Heads	Year-1 (Lakh Rs)	Year-II (Lakh Rs)	Year-III (Lakh Rs)	Total (Lakh Rs)
Maintenance/ Repair of Instruments	5.00	5.00	5.00	15.00
Administrative Operation	2.00	2.00	2.00	06.00
Travel	2.00	2.00	2.00	06.00
Consumables & Chemicals	5.00	5.00	5.00	15.00
Training Programs, etc.	2.00	2.00	2.00	06.00
Total				48.00

Rupees Forty Eight Lakh Only

शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

19. क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 14.08.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 14.08.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 07.08.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्या-परिषद के स्थाई समिति की बैठक दिनांक 07.08.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. विश्वविद्यालय के देहावसान एवं अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों का सी.पी.एफ. की राशि रूपए 62,89,668.00 (रूपए बासठ लाख नवासी हजार छः सौ अड़सठ मात्र) के अंतिम भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के देहावसान एवं अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों का सी.पी.एफ. राशि रूपए 62,89,668.00 (रूपए बासठ लाख नवासी हजार छः सौ अड़सठ मात्र) के अंतिम भुगतान निम्नानुसार किए जाने का अनुमोदन किया गया -

क्र.	नाम/पद नाम	सेवानिवृत्त/ देहावसान दिनांक	अधिवार्षिकी/ देहावसान	सी.पी.एफ. राशि का अंतिम भुगतान
1.	श्री नरेन्द्र कुमार यादव	31.03.2021	अधिवार्षिकी	2,60,330.00
2.	स्व. श्री प्रफुल्ल कुमार शुक्ला	10.04.2021	देहावसान	11,68,659.00
3.	स्व. श्री टामकर प्रसाद जोशी	14.04.2021	देहावसान	6,78,691.00
4.	स्व. श्री जनक दास मानिकपुरी	22.04.2021	देहावसान	7,76,678.00
5.	श्री गोरचंद बघेल	30.04.2021	अधिवार्षिकी	2,73,026.00
6.	स्व. श्री अरविंद कुमार शर्मा	25.05.2021	देहावसान	17,98,838.00
7.	श्री किशोर कुमार रावत	31.05.2021	अधिवार्षिकी	5,24,807.00
8.	श्री कुबेर	07.06.2021	स्वैच्छिक से.नि.	1,81,976.00
9.	श्री नेतराम निषाद	30.06.2021	अधिवार्षिकी	6,26,663.00
			योग-	62,89,668.00
(रूपए बासठ लाख नवासी हजार छः सौ अड़सठ मात्र)				

3. डॉ. केशरी लाल वर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला की सी.पी.एफ. की कुल राशि रूपए 20,52,454.00 (रूपए बीस लाख बावन हजार चार सौ चौवन मात्र) के अंतिम भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : डॉ. केशरी लाल वर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला की सी.पी.एफ. की कुल राशि रूपए 20,52,454.00 (रूपए बीस लाख बावन हजार चार सौ चौवन मात्र) के अंतिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. डॉ. श्रीमती मोयना चक्रवर्ती, प्रोफेसर, मानव विज्ञान अध्ययनशाला की सी.पी.एफ. राशि रुपए 22,61,745.00 (रुपए बाईस लाख इकसठ हजार सात सौ पैतालीस मात्र) के अंतिम भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : डॉ. श्रीमती मोयना चक्रवर्ती, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, मानव विज्ञान अध्ययनशाला की सी.पी.एफ. की कुल राशि रुपए 22,61,745.00 (रुपए बाईस लाख इकसठ हजार सात सौ पैतालीस मात्र) के अंतिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. श्री रूपचंद साहू, सेवानिवृत्त प्रथम श्रेणी लिपिक की सी.पी.एफ. राशि रुपए 20,08,293.00 (रुपए बीस लाख आठ हजार दो सौ तिरानबे मात्र) के अंतिम भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय : श्री रूपचंद साहू, सेवानिवृत्त प्रथम श्रेणी लिपिक के सी.पी.एफ. की कुल राशि रुपए 20,08,293.00 (रुपए बीस लाख आठ हजार दो सौ तिरानबे मात्र) के अंतिम भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

6. विश्वविद्यालय के देहावसान तथा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 42,06,859.00 (रुपए बयालिस लाख छः हजार आठ सौ उनसठ मात्र) के भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के देहावसान तथा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 42,06,859.00 (रुपए बयालिस लाख छः हजार आठ सौ उनसठ मात्र) के निम्नानुसार भुगतान की सूचना ग्रहण की गई :-

स.क्र.	सेवानिवृत्ति तिथि	शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों का नाम	अवकाश नगदीकरण दिन	राशि
1	08.06.2021	स्व. श्री बंशी टेकाम (देहावसान)	240	2,55,422.00
2	30.06.2021	श्री नेतराम निषाद	217	2,31,496.00
3	30.06.2021	स्व. श्री जनक दास मानिकपुरी (देहावसान)	240	1,86,334.00
4	30.06.2021	स्व. श्री प्रफुल्ल कुमार शुक्ला (देहावसान)	240	3,65,963.00
9	30.06.2021	स्व. श्री टामकर प्रसाद जोशी (देहावसान)	240	3,70,230.00
5	06.07.2020	श्री सुरेश यादव	240	5,73,216.00
6	19.07.2021	श्री रूपचंद साहू	219	3,24,243.00
7	22.07.2021	श्री किशोर रावत	212	2,49,210.00
8	27.07.2021	श्री ठाकुर राम ध्रुव	218	2,67,076.00
10	27.07.2021	श्री संतोष गोंड	211	3,72,749.00
11	28.07.2021	श्री गोरचंद बघेल	233	3,77,136.00
12	28.08.2020	श्री राकेश कुमार शुक्ला	204	2,95,004.00
13	02.09.2020	श्रीमती मैना बाई	195	1,80,947.00
14	02.09.2020	श्री नंद कुमार	195	1,57,833.00
			योग-	42,06,859.00

(रुपए बयालिस लाख छः हजार आठ सौ उनसठ मात्र)

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव

7. अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वाणिज्य विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 06.08.2021 के निर्णयानुसार अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध-केंद्र की मान्यता आगामी 3 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से प्रदान किए जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. वर्ष 2020-21 के विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षाओं के गोपनीय मुद्रण हेतु राशि रूपए 14,51,473.00 (रुपए चौदह लाख इंक्यावन हजार चार सौ तिहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय : वर्ष 2020-21 के विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षाओं के गोपनीय मुद्रण हेतु राशि रूपए 14,51,473.00 (रुपए चौदह लाख इंक्यावन हजार चार सौ तिहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

9. पी-एच.डी. उपाधि के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।
निर्णय : विभिन्न संकायों में पी-एच.डी. उपाधि हेतु दिनांक 22.03.2021 से 07.08.2021 (अधिसूचना क्रमांक 3475 से 3498 तक) कुल 24 शोधार्थियों को जारी की गई पी-एच.डी. उपाधि का अनुमोदन किया गया :-

कला संकाय	- हिंदी-02, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान-02, संस्कृत 01, भाषाविज्ञान-01
सामाजिक विज्ञान संकाय	- समाजशास्त्र-01, इतिहास-02, मनोविज्ञान-01, राजनीति विज्ञान-01, अर्थशास्त्र-02, प्रा.भा.इतिहास-01, क्षेत्रीय अध्ययन (हिंदी)-01
वाणिज्य संकाय	- वाणिज्य-01
शिक्षा संकाय	- शिक्षा-04
विज्ञान संकाय	- भूविज्ञान-01, भौतिकी-01, रसायन शास्त्र-01
जीव विज्ञान संकाय	- वनस्पति शास्त्र-01

IQAC से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. आई.क्यू.ए.सी. समिति की बैठक दिनांक 19.07.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
निर्णय : आई.क्यू.ए.सी. समिति की बैठक दिनांक 19.07.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

ग्रंथालय से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. पुस्तकों (Print) के क्रयार्थ प्राप्त दर के अनुमोदन पर विचार करना।
निर्णय : पुस्तकों (Print) के क्रयार्थ विभागीय क्रय समिति एवं केंद्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया :-
विभागीय क्रय समिति :-

पुस्तकों के वास्तविक मूल्य पर Indian Publications के लिए अधिकतम छूट 36.56% अर्थात् क्रयार्थ न्यूनतम दर के आधार पर अरविंद प्रकाशन, उदयपुर से एवं Foreign Publications के लिए अधिकतम छूट 41.06% अर्थात् क्रयार्थ न्यूनतम दर के आधार पर अरविंद प्रकाशन, उदयपुर से क्रय करने की विभागीय क्रय समिति की अनुशंसा।

केंद्रीय क्रय समिति :-

केंद्रीय क्रय समिति ने दिनांक 30.07.2021 को विभागीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार उपरोक्त छूट (Discount) दरों पर भारतीय प्रकाशन एवं विदेशी प्रकाशन की पुस्तकें, अरविंद प्रकाशन, उदयपुर से क्रय की अनुशंसा।

पुस्तकों (Print) के क्रयार्थ अनुमोदित दर फर्म से अनुबंध तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होंगे।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. उपाधि प्रोफार्मा मुद्रण देयक राशि रूपए 13,45,200.00 (रुपए तेरह लाख पैतालिस हजार दो सौ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय : ऑफसेट प्रिंटिंग हाऊस, चाणक्यपुरी कॉलोनी, सतना (म.प्र.) को उपाधि प्रोफार्मा मुद्रण देयक राशि रूपए 13,45,200.00 (रुपए तेरह लाख पैतालिस हजार दो सौ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

1. विश्वविद्यालय में निम्नलिखित भवनों में उद्यान विकसित करने हेतु सहायक संचालक, उद्यान प्रमुख, रायपुर (छ.ग.) प्राप्त प्राक्कलन राशि की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना—
 - (1) प्रशासनिक भवन के पास खाली जगह में अलंकृत उद्यान विकसित करने प्राक्कलन राशि रु. 12,48,795/- (रुपए बारह लाख अड़तालिस हजार सात सौ पंचानबे मात्र)
 - (2) फार्मसी संस्थान में मेडिशनल अलंकृत उद्यान विकसित करने प्राक्कलन राशि रु. 9,54,968/- (रुपए नौ लाख चौवन हजार नौ सौ अड़सठ मात्र)
 - (3) पं. सुंदर लाल शर्मा ग्रंथागार परिसर में उद्यान विकसित करने सहायक संचालक, उद्यानिकी से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु. 4,97,896/- (रुपए चार लाख संतानबे हजार आठ सौ छियानबे मात्र)

निर्णय: विश्वविद्यालय परिसर में उद्यान विकसित करने हेतु प्राक्कलन राशि क्रमशः (1) रु. 12,48,795/- (रुपए बारह लाख अड़तालिस हजार सात सौ पंचानबे मात्र) (2) रु. 9,54,968/- (रुपए नौ लाख चौवन हजार नौ सौ अड़सठ मात्र) (3) रु. 4,97,896/- (रुपए चार लाख संतानबे हजार आठ सौ छियानबे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई। कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने तीनों कार्यों की 50% राशि का भुगतान सहायक संचालक, उद्यान, प्रमुख उद्यान, रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। Pharmacy Medicinal Plant Garden के प्राक्कलन की राशि फार्मसी संस्थान के बजट से व्यय किए जाने का अनुमोदन किया गया।

भू-विज्ञान अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. भू-विज्ञान अध्ययनशाला में जेमोलाजी का डिप्लोमा का नया पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर विचार करना।


निर्णय: भू-विज्ञान अध्ययनशाला में अध्यादेश क्रमांक-188 के अंतर्गत Diploma in Gem Identification & Grading नया पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का अनुमोदन किया गया।

क्षेत्रीय अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. क्षेत्रीय अध्ययनशाला में शिक्षा सत्र 2021-'22 से नए पाठ्यक्रम (1) सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइवलीहुड प्लानिंग एंड सप्लाय चैन मैनेजमेंट, (2) सर्टिफिकेट कोर्स इन डीसेंट्रेलाइज प्लानिंग के प्रारंभ करने पर विचार करना।

निर्णय: क्षेत्रीय अध्ययनशाला में शिक्षा सत्र 2021-'22 से नए पाठ्यक्रम— (1) – सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइवलीहुड प्लानिंग एंड सप्लाय चैन मैनेजमेंट, (2) सर्टिफिकेट कोर्स इन डीसेंट्रेलाइज प्लानिंग प्रारंभ करने का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।




कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)